राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 20 (2) त.शि./2010 पार्ट जयपुर, दिनांक : 30.9.2010

–: सूचना :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.9.2010 में डिग्री अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों में रिक्त प्रवेश स्थानों को संस्थान स्तर प्रवेश देने हेतु दिशा–निर्देश जारी करते हुए प्रवेश देने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर,2010 निर्धारित की हुई है ।

इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि संस्थान दिनांक 4.10.2010 तक विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रवेशित छात्रों की सूची आरपीईटी–2010 के कार्यालय में उपलब्ध करायेगें।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के शैक्षणिक कलैण्डर के मध्य नजर इस सूचना के माध्यम से सभी संस्थानों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 4 अक्टूबर,2010 के बाद किसी भी परिस्थिति में संस्थान की प्रवेशित सूची को समन्वयक, आरपीईटी–2010 द्वारा स्वीकार/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

राज्यादेश की अवहेलना करने वाली संस्थानों की सूची को समन्वयक, आरपीईटी–2010 राज्य सरकार को दिनांक 5.10.2010 को प्रेषित करें।

भवदीय

(आर. के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त0शि0

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. **समन्वयक, आरपीईटी–2010 को प्रेषित कर लेख है कि इस सूचना को अविलम्ब आरपीईटी–2010 की वैवसाईट पर प्रकाशित कराने की सुनिश्चित करने के साथ ही संस्थानों को उनके ई–मेल पर डाउन लोड करवा दिया जावें।**
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
5. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी, त0शि0